रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224242 CG-DL-E-06012021-224242

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] No. 06] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2021/पौष 16, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2021/PAUSHA 16, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2021

संख्या 1/2021-सीमाश्ल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 7 (अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेलामाइन" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016, जिसे सा.का.नि. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/32/2020-डीजीटीआर, दिनांक 22 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड। में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त

83 GI/2021 (1)

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पिठत उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016, जिसे सा.का.िन. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 28 फरवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा"

[फा. सं. 354/28/2004 –टीआरयू (पार्ट-II)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016 को सा.का.िन. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 34/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 6 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.िन. 640 (अ), दिनांक 6 सितम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2021

No. 1/2021 - Customs (ADD)

G.S.R. 7 (E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/32/2020-DGTR, dated the 22nd September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd September, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Melamine' originating in or exported from China PR, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2/2016-Customs (ADD), dated the 28th January, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 28th January, 2016, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2016-Customs (ADD), dated the 28th January, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 28th January, 2016, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 28th February, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 354/28/2004-TRU (Pt-II)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 2/2016-Customs (ADD), dated the 28th January, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 28th January, 2016 and was last amended *vide* notification No. 34/2019-Customs (ADD), dated the 6th September, 2019, published *vide* number G.S.R. 640 (E), dated the 6th September, 2019.